



2026:AHC:165336

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26267 वर्ष 2026

ललित

मोहन

अवस्थी

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

भूपेन्द्र पाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
- यह आवेदन अधीनस्थ अदालत में चल रहे मुकदमे, मुकदमा अपराध संख्या 01 सन् 2026 धारा 338, 3(5) बी.एन.एस., थाना - बाबूपूर्वा, जिला - कानपुर नगर के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि आवेदक का उस पर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक ने न तो जाली मार्कशीट दी है और न ही सूचनाकर्ताकर्ता से कोई पैसा लिया है और वह सह-आरोपी शैलेंद्र कुमार को नहीं जानता था। आवेदक 60 वर्ष का है और वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसका इलाज चल रहा है। आवेदक के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को अधीनस्थ अदालत द्वारा दिनांक 06.03.2006 के आदेश द्वारा धारा 318(4), 336(3), 340(2) बी.एन.एस. के तहत वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या 1 सन् 2026 में जमानत पर रिहा किया गया था। आगे यह निवेदन किया जाता है कि निष्पक्ष अन्वेषण पूरी किए बिना ही अन्वेषण अधिकारी ने आवेदक और उसकी पत्नी के साथ-साथ अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-अभियुक्त शैलेंद्र कुमार को इस पीठ द्वारा दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



08.07.2026 को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 23066 सन् 2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। मौजूदा मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वर्तमान मामले पर उन्होंने आगे बताया कि आवेदक 27.05.2026 से जेल में बंद है। यह भी कहा गया है कि आवेदक वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

4. जमानत की अर्जी का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया है।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक - **ललित मोहन अवस्थी** को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत बंधपत्र भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।

(iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv). आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

8. यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के विचारण के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5 अगस्त, 2026

वी.के. उपध.

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।